न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भरतपुर

(पीठासीन अधिकारीः बीना महावर, आर०ए०एस०)

अपील संख्या 40 / 2020

ओमप्रकाश पुत्र लड्डू उर्फ उम्मेदसिंह जाति जाट निवासी ग्राम ताखा तहसील कुम्हेर जिला भरतपुर।

........अपीलान्ट

बनाम

तहसीलदार कुम्हेर

........रैस्पोडेन्ट

अपील विरुद्ध निर्णय दिनांक 19.11.2010 तहसीलदार कुम्हेर बाबत इन्तकाल नम्बर 1482 वाकै ग्राम ताखा तहसील कुम्हेर जिला भरतपुर।

उपस्थित :–

1–श्री नीरपालसिंह, अभिभाषक अपीलान्ट,
2–पेरोकार सरकार

निर्णय

दिनांक 28.01.2021

अपीलान्ट ने यह अपील विरुद्ध रैस्पोडेन्ट व खिलाफ आदेश तहसीलदार कुम्हेर दिनांक 19.11.2010 पेश की गई है। अपीलाधीन आदेश में विरासत का नामान्तरकरण संख्या 1482 ग्राम ताखा तहसील कुम्हेर स्वीकार किये जाने की आज्ञा दी गई है। नामान्तरकरण संख्या 1482 के खिलाफ यह अपील पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर दर्ज की गई। रैस्पो0 की तलबी की गई। बकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
भरतपुर (राज.)

योग्य अभिभाषक अपीलान्ट ने अपने तर्को में अपील में अंकित कथनों को दौहराते हुये जाहिर किया कि अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 1482 दिनांक 19.11.2010 ग्राम ताखा तहसील कुम्हेर जो कि अपीलान्ट के नाम विरासत का दर्ज किया गया है जो खिलाफ कानून व रूयेदाद मिसिल होने से काबिल मंसुखी है। पटवारी हल्का द्वारा अपीलाधीन दाखिल खारिज संख्या 1482 बिना वारिसान की जांच किये तथा बिना अपीलान्ट की जानकारी में लाये अपीलान्ट का नाम ओमवीर गलत दर्ज कर दिया गया है जबकि अपीलान्ट का सही नाम ओमप्रकाश है। अपीलान्ट के आधार कार्ड, राशन कार्ड, फोटो पहचान पत्र में ओमप्रकाश पुत्र उम्मेदसिंह नाम दर्ज है। दाखिल खारिज में दर्ज आराजी में से अपीलान्ट द्वारा अपने भाईयों गोविन्द सिंह व रज्जनसिंह से उनके हिस्से को जरिये वयनामा ओमप्रकाश पुत्र उम्मेदसिंह के नाम से खरीद किया है जो वर्तमान जमाबन्दी में ओमप्रकाश पुत्र उम्मेदसिंह हिस्सा 1/4 दर्ज है। उन्होने यह भी जाहिर किया कि अपीलाधीन दाखिल खारिज संख्या 1482 वाकै ग्राम ताखा को दर्ज करने व तस्दीक करने से पूर्व कोई सूचना एवं सुनवाई का अवसर अपीलान्ट को नहीं दिया गया है और न ही कोई जानकारी अपीलान्ट को रही है। अपीलान्ट को सर्व प्रथम दिनांक 03.11.2020 को किसान केडिट कार्ड बनावाने के सम्बन्ध में पटवारी हल्का से मिलने पर हुई तब अपीलान्ट द्वारा अपीलाधीन आदेश की नकल प्राप्त की। जानकारी से अपील बिना किसी देरी के अन्दर म्याद पेश है। प्रार्थना पत्र दफा 5 म्याद अधिनियम अलग से प्रस्तुत है। अन्त में वकील अपीलान्ट ने अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर ओमवीर के स्थान पर ओमप्रकाश का नाम संशोधन किये जाने की प्रार्थना की है

पैरोकार सरकार ने अपने कथनों में जाहिर किया कि यह जांच का बिन्दु है अतः प्रकरण को जांच हेतु तहसीलदार कुम्हेर को भेजा जाना उचित होगा।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। योग्य अभिभाषक उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। प्रथमतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 म्याद अधिनियम पर विचार किया गया। प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत शपथ पत्र का अवलोकन किया गया। अपील को अन्दर म्याद माना जाकर प्रकरण का मैरिट पर विचार किया गया। अपीलाधीन आदेश नामान्तरकरण संख्या 1482 वाके ग्राम ताखा तहसील कुम्हेर दिनांक 19.11.2010 के अवलोकन से जाहिर है कि विवादित नामान्तरकरण मृतक उम्मेदसिंह के विरासत का स्वीकार किया गया है जिसमें स्वर्गीय उम्मेदसिंह के वारिस के रूप में गोविन्दसिंह, बिजेन्द्रसिंह, खडगसिंह, ओमवीर, रामेश्वर, गिर्राज,

निरिक्त जिला कलक्टर
भरतपुर (राज.)

मनोहर को पुत्रान तथा राजकुमारी को पुत्री दर्ज किया गया है। योग्य अभिभाषक अपीलान्ट का कहना है कि स्वर्गीय उम्मेदसिंह के ओमवीर नाम का कोई पुत्र नही है। ओमवीर का नाम गलत दर्ज कर दिया गया है जबकि सही नाम ओमप्रकाश है। अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत ओमप्रकाश के आधार कार्ड, राशन कार्ड, फोटो पहचान पत्र की छायाप्रतियों का अवलोकन किया गया। अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों से अपीलान्ट के पिता का नाम उम्मेदसिंह ग्राम ताखा तहसील कुम्हेर। अतः प्रकरण तहसीलदार कुम्हेर को मृतक उम्मेदसिंह के सही वारिसान के नाम की जांच कर पुनः नामान्तरकरण दर्ज करने हेतु प्रतिप्रेषित किया जाना उचित पाते है।

अतः आदेश है किः—

उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है। अपीलाधीन आदेश दिनांक 19.11.2010 निरस्त किया जाता है। प्रकरण तहसीलदार कुम्हेर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे मृतक उम्मेदसिंह के विरासत के नामान्तरकरण में ओमवीर पुत्र के बारे में पुनः जांच कर साक्ष्य वगैरा लेकर पक्षकारान को सुनवाई का विधिवत अवसर देते हुये पुनः निर्णय पारित करे। निर्णय की प्रति तहसीलदार कुम्हेर को भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 28.01.2021 को सुनाया गया।

(बीना महावर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
भरतपुर (राज.)